9/4/24 पत्रावली प्रस्तुत वकुलाम फार्रीज आरम्भ|

पत्रावली को अवलोकन किया तथा वेहक वकुलाम फरमान किया गया| प्रकरण पूर्व न्यायालय के धारा 87 ~~[illegible]~~ पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर किया (6/11) 2017 के आदि आवासीय पट्टे को निरस्त करवाने की रिलीफ चाही गयी है।

तत्पश्चात दिनांक 8/4/2024 ~~[illegible]~~ 8/4/2024 को पक्षकारों ने राजीनामा प्रस्तुत किया|

~~[illegible]~~

न्यायालय के समक्ष निगरानी है पक्षकारों के अधिकारों के विनिश्चय का कोई प्रकरण नहीं है| निगरानी का क्षेत्राधिकार सीमित है जहाँ अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता। ऐसी स्थिति में 2023 के प्रावधान 2023 के तहत विवादित अधिनियम जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत है के चार कोई ~~[illegible]~~ आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।
राजीनामा में सहमति उल्लेख किया है
कि पंचायत ने सही पट्टा दिया है।
अतः निगरानी को निरस्त किया जावे।
चूंकि पक्षकारों ने अपनी सहमति से
राजीनामा प्रस्तुत किया तथा निगरानी को
नहीं चलाना चाहते अतः राजीनामे के
अनुसार निगरानी इसी स्तर पर
खत्म की जाती है।

जिला कलक्टर
राजसमन्द